

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 22/2021  
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00027

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम  
बांसवाड़ा हाल उदयपुर  
(राज)

श्री माधवलाल अहीर पुत्र श्री नानालाल  
अहीर, मालिक मैसर्स आशा डायनिंग हॉल,  
दुकान नं.11,12 डूंगरपुर रोड, बांसवाड़ा  
(राज)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 05.07.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा हाल उदयपुर (राज.) के द्वारा दिनांक 15-06-2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 21-10-2020 को 2.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स आशा डायनिंग हॉल, दुकान नं.11,12 डूंगरपुर रोड, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री माधवलाल अहीर पुत्र श्री नानालाल अहीर उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान पर एक भगौने में करीब 5 कि०ग्रा० दही (Mix Milk से निर्मित) आम जनता को (खाने के साथ परोसने हेतु) बिक्री हेतु पाया गया। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए आम जनता को बिक्री हेतु रखे करीब 5 कि०ग्रा० दही (Mix Milk से निर्मित) में से 800 ग्राम दही वास्ते नमूना जाँच हेतु साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा तथा इनकी कीमत 48 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन-2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा 800 ग्राम दही (Mix Milk से निर्मित) चार साफ, सुखे व खाली कौंच के जारों में बराबर-बराबर (प्रत्येक में करीब 200 ग्राम) भरकर फार्मेलीन की प्रत्येक मुँडालकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाइट बन्द कर नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त चार नमूना भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं.



6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।


अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/260 दिनांक 08.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 200 दिनांक 01.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया दही (Mix Milk से निर्मित) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सवस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 16-06-2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जारिये समन तलव किया गया।

दिनांक 05.07.2021 को अभियुक्त की ओर से श्री योगेश सोमपुरा का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। श्री मणीलाल गुर्जर ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त एवं अधिवक्ता को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/260 दिनांक 08.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 200 दिनांक 01.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया दही (Mix Milk से निर्मित) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सवस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।


अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सवस्टैण्डर्ड किये गये दही (Mix Milk से निर्मित) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया



गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री माधवलाल अहीर पुत्र श्री नानालाल अहीर, मालिक गैसर्स आशा डायनिंग हॉल, दुकान नं.11, 12 झूंगरपुर रोड, बोंसवाडा को रुपये 5,000/- (अक्षरे रू. पाँच हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बोंसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(नरेश युनकर)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर)  
बांसवाडा (राज.)  
बांसवाडा